न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 147/2017/अपील

1 घासीराम पुत्र भूराराम
2 हरीशंकर
3 रामजीलाल
4 राधेश्याम
5 मुकेश
} पुत्रगण घासीराम

समस्त जाति कुमावत निवासी मण्ढ़ोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017 मु.न. 259/2017 अनुवानी सरकार बनाम घासीराम वगै0 द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—23.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मंढोली ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक सर्वथा गलत रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि भूमि खसरा नम्बर 504/1 तन ग्राम मण्डोली पर अपीलान्टान ने बाड़ा बना रखा है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना ने अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना दिये बिना व अपीलान्टान को जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही अपने निर्णय दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अपीलान्टान को बेदखल करने की व लगान रूपये 0.06 रूपये का पचास गुणा रूपये तीन की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष पटवारी हल्का मण्ढोली ने सर्वथा गलत रिपोर्ट अपीलान्टान के विरूद्ध प्रस्तुत की गई व उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्टान के नाम नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.11.2017 हेतु नियत की व अपीलान्टान के नाम कानूनन अलग—अगल नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होते हुये भी जोइन्ट नोटिस जारी किया गया जो कानूनन नोटिस की तारीफ में भी नही आता है व उक्त नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की स्पष्ट रिपोर्ट है कि घासीराम हरिशंकर, रामजीलाल राधेश्याम मुकेश पिता घासीराम जाति कुमावत निवासी मंढोली को तलाश किया तो घर पर घासीराम का लड़का हरिशंकर मौजुद मिला। नोटिस पढकर नोटिस लेने से इन्कार हो गया। इस प्रकार अपीलान्टान पर नोटिस की विधिवत तामिल हुए बिना ही योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अपना निर्णय जेर अपील विरूद्ध कानून पारित किया है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्ट संख्या 2 ता 4 की तामिल के बारे में दिनांक 13.11.2017 को कोई आदेश पारित नही किया और अपीलान्ट संख्या 2 ता 4 को कोई नोटिस दिये बिना व उन्हे अपना जवाब व कथन प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना

ही अपना निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। अपीलान्टान का भूमि खसरा नम्बर 504/1 में कोई कब्जा नही है, और न ही राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 504/1 का कोई अस्तित्व ही है। भूमि खसरा नम्बर 504 मे से 2100 हैक्टर भूमि रा0उ0मा0वि0 मंढ़ोली के स्कूल भवन एवं खेल मैदान हेतु निशुल्क आवटित की गई है। उक्त आवंटन का जो नक्शा बनाया गया, उसमें भी खसरा नम्बर 504/1 कंही अंकित नही है, फिर भी पटवारी हल्का ने सर्वथा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने पटवारी हल्का के कोई बयान लिये बिना ही अपीलान्टान को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। दिनांक 13.11.2017 को अपीलान्टान संख्या 1 व 5 की और से श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु दिनांक 27.11.2017 की तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 27.11.2017 का जवाब हेतु दिनांक 30.11.2017 की तारीख नियत की गयी। दिनांक 30.11.2017 को वकील अपीलान्ट ने जवाब हेतु समय चाहा तो तहसीलदार के रीडर ने अपीलान्ट के वकील को दिनांक 11.12.2017 की तारीख जवाब हेतु बताई व जब वकील अपीलान्ट ने दिनांक 11.12.2017 को जवाब प्रस्तुत किया तो तहसीलदार ने भूमि की पेमाईश करवाई जावे का आदेश जवाब के प्रथम पृष्ठ पर ही दिया व पत्रावली तलाश करने पर भी नही मिली। तब जानकारी करने से ज्ञात हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.11.2017 को ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्टान को अपना जवाब व कथन प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही अपना निर्णय जेर अपील विरूद्ध कानून पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्टान के परिवार के पक्ष में तहसील नीमकाथाना द्वारा दिनांक 04.03.55 को 247.5 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 04.03.55 को व दूसरा पटटा 750 वर्गगज का दिनांक 14.08.74 को जारी किया गया था। उक्त भूमि पर कालान्तर में अपीलान्टान के छप्पर पोश मकानात मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक व मिट्टी के बर्तन पकाने का अवा बने हुये है व अपीलान्टान के पुख्ता रिहायशी मकानात पानी की टंकी लेट्रिन बाथरूम इत्यादी बने हुये है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जेर अपील पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांटान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस न्यायीक दृष्टांत पेश किये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में RRT 2017(1) पेज नम्बर 626 से 627, RRD 1990 पेज नम्बर 351 से 352, RRD 1974 पेज नम्बर 456 से 458 पेश किये। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायीक दृष्टांत में विवेचित प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर वास्तु सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी 13.11.2017 रखी गई। दिनांक 13.11.2017 की आदेशिका के मुताबिक गैरसायलान की और से वकील श्री गोपाल लाल शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व जवाब हेतु समय चाहे जाने पर जवाब हेतु समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 27.11.2017 अंकित की गई। दिनांक 27.11.2017 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि गैरसायलान की और से वकील उपस्थित आया एवं जवाब हेतु समय चाहे जाने पर अंतिम अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 30.11.2017 अंकित की गई। दिनांक 30.11.2017 को गैरसायलान व अधिवक्ता अनुपस्थित रहे व चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर दिया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांटान द्वारा ग्राम मंढ़ोली के खसरा नम्बर 504/1 रकबा 0.21

है0 किस्म चारागाह में से 0.03 है0 पर बाड़ा, मकान व नोहरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी आपत्ति जाहिर की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को सुनवाई हेतु जॉईन्ट नोटिस जारी किया है व वादग्रस्त आराजियात के बाबत तहसीलदार द्वारा अपीलांटान को पट्टा जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलांटान को जारी नोटिस का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को सुनवाई हेतु जारी नोटिस जॉईन्ट नोटिस जारी किया गया है, जो लीगली प्रोसिजर के अनुसार जॉईन्ट नोटिस नहीं दिया जा सकता है, परन्तु केवल मात्र उक्त जॉईन्ट नोटिस देने के आधार पर अपील में अपीलांटान को राहत दिया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा सूची दस्तावेज के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा मथुराप्रसाद, सुरजमल, घासीराम के नाम से दिनांक 14.08.74 को जारी सनद क्षेत्रफल 750 वर्गगज का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.08.74 को जारी सनद मथुराप्रसाद, सुरजमल, घासीराम के नाम से भूमि खसरा नम्बर 1910 में से 750 वर्गगज भूमि किस्म सिवायचक दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक खसरा नम्बर 1910 से ही खसरा नम्बर 504 बना है। अप्रार्थीगण के नाम से जारी सनद में भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज है, जबकि चुनौतिग्रस्त निर्णय के मुताबिक अपीलांटान का अतिक्रमण चारागाह भूमि पर है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.08.74 को जारी सनद में वर्णित आराजियात की किस्म चुनौतिग्रस्त निर्णय में वर्णित आराजियात की किस्म से भिन्न है एवं उक्त दस्तावेज अप्रमाणित दस्तावेज है। अप्रमाणित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अपीलांटान का उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांटान द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांटान का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि पर अपीलांटान को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः चारागाह भूमि पर अपीलांटान द्वारा बाड़ा मकान व नोहरा बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 30.11.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटान खारिज की जाती है। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में विवादग्रस्त आराजियात का सीमाज्ञान किया जाकर ही नियमानुसार बेदखली करें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर